



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/1126

08/03/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

**विषय: यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (ईयूडीआर) के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भागीदारी के लिए रणनीतिक ढांचे पर यूरोपीय संघ से मार्गदर्शन दस्तावेज़ और संचार**

हम आपको यूरोपीय संघ के वनों की कटाई विनियमन (ईयूडीआर) के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जो 30 दिसंबर, 2025 (संशोधित तिथि) को लागू होगा। इस विनियमन का उद्देश्य यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं पर सख्त अनुपालन आवश्यकताओं को लागू करके अंतर्राष्ट्रीय वनों की कटाई को रोकना है।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि यूरोपीय संघ ने दो दस्तावेज़ जारी किए हैं;

1. 13.11.2024 को जारी मार्गदर्शन दस्तावेज़, जिसमें ईयूडीआर के व्यावहारिक निहितार्थों के बारे में जानकारी है, और
2. 7.11.2024 को जारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भागीदारी के लिए रणनीतिक ढांचे पर संचार (संलग्न), जो ईयूडीआर के अनुच्छेद 29 के अनुसार देशों के जोखिम वर्गीकरण के तौर-तरीके प्रदान करता है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद